न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2012/00163 (49/2012) 225 आरटीएक्ट

1. दलीप पुत्र लिछमण वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. दया पुत्र लिछमण वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. कमला पुत्री लिछमण वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. शेरा उर्फ शेरसिंह पुत्र मोमन वल्द गणपत वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. विक्रम वल्द बलवन्त वल्द मोमन वल्द गणपत वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. सुभाष पुत्र बलवन्त वल्द मोमन वल्द गणपत वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. झिन्डू पुत्र बस्तीराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. जयसिंह पुत्र डूंगर वल्द कालू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. हेमराज पुत्र डूंगर वल्द कालू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. फकीरचन्द पुत्र बालू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
11. जीता उर्फ रणजीत पुत्र नत्थू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
12. काशी पुत्र नत्थू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार सानिक चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
13. रामकुमार वल्द चन्द वल्द नत्थू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
14. शेरसिंह पुत्र लीखु वल्द नत्थू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। —अपीलाण्ट्स

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र फूलाराम वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. रेड़ाराम वल्द सोहनलाल वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. सोहना बेवा रामकुमार वल्द सोहनलाल वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. किरसना पुत्री रामकुमार वल्द सोहनलाल वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिडिया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. संजना पुत्री रामकुमार वल्द सोहनलाल वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. वकील पुत्री रामकुमार वल्द सोहनलाल वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
7. हंसराम वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
8. गुड्डी बेवा चन्दू वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
9. दलबीर वल्द चन्दू वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. प्रताप वल्द चन्दू वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
11. संतोष पुत्री चन्दू वल्द मूलाराम वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
12. रतनी बेवा राजू वल्द चन्दू वल्द मूला वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
13. राकेश पुत्र राजू नाबालिग जरिये वली माता रतनी बेवा राजू वल्द चन्दू वल्द मूला वल्द धन्ना जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
14. गुलाब पुत्र राजु नाबालिग जरिये वली माता रतनी बेवा राजु वल्द चन्दू वल्द मूला वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
15. कालू पुत्र राजु नाबालिग जरिये वली माता रतनी बेवा राजु वल्द चन्दू वल्द मूला वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
16. रूलीराम पुत्र सरदार वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
17. शांति पुत्री सरदार वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
18. सरस्वती पुत्री सरदार वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19. कमला पुत्री सरदार वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
20. दिवानसिंह पुत्र लिछमण वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
21. रामस्वरूप पुत्र लिछमण वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
22. भगवानी बेवा माना वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
23. वीरसिंह पुत्र माना वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
24. सन्तो पुत्री माना वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
25. प्रताप पुत्र माना वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
26. औम पुत्र माना वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
27. समीरा बेवा पप्पु वल्द माना वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
28. पुनम पुत्र पप्पू वल्द माना वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
29. अनिल पुत्र पप्पू वल्द माना वल्द गुगन वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
30. दयाराम पुत्र पाला वल्द गणपत वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
31. राजू पुत्र पाला वल्द गणपत वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
32. बाला पुत्री पाला वल्द गणपत वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
33. बीरबल पुत्र बस्ती वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
34. लीलू पुत्र बस्ती वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
35. भूप पुत्र बस्ती वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
36. मुन्शी पुत्र बस्ती वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
37. सुन्दर बेवा प्रकाश वल्द बस्ती वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

38. सुमन पुत्री प्रकाश नाबालिग जरिये वली माता सुन्दर बेवा प्रकाश वल्द बस्ती वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
39. नाम नामालूम पुत्र प्रकाश नाबालिग जरिये वली माता सुन्दर बेवा प्रकाश वल्द बस्ती वल्द धन्ना वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
40. पातो बेवा डूंगर वल्द कालू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
41. ओम प्रत्र डूंगर वल्द कालू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
42. धर्म सिंह पंत्र वल्द कालू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
43. मीरां पुत्री वल्द कालू वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
44. चानण पुत्र बालु वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
45. रोशनी पुत्री बालु वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
46. नाम नामालूम पुत्री बालु वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
47. धापी पुत्री बालु वल्द हुक्मा वल्द पूर्ण जाति मेघवंशी चमार साकिन चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
48. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। — रेस्पोडेण्ट्

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.04.2012 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर प्र. सं. 70/2011 बअनवानी महेन्द्र बनाम रेड़ाराम आदि

श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खेताराम अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1
श्री रामकुमार बेनीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2,5, 6, 8, 12, 14
श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः— 09.10..2019

1. प्रकरण के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने उप जिला कलक्टर भादरा के समक्ष धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना—पत्र में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पर सायल

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपने हक हिस्सा के अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार हैं लेकिन गैर सायल प्रश्नगत भूमि से अपीलाण्ट को बेदखल कर रहन बैय आदि द्वारा अन्तरित करना चाहते हैं। कानूनन किसी व्यक्ति का रिकार्ड ऑफ राईट में नाम नहीं होने से उसके खातदेारी राईट कम नहीं हो जाते हैं। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.04.2011 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की एवं अप्रार्थीगण के उपस्थित आने पर अप्रार्थीगण ने अपनी जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को वाद लाने का कोई कारण प्राप्त नहीं है। गत 60 वर्षों से वादीगण का नाम रिकार्ड में नहीं है। भूमि के बैयनामों एवं इंतकालों को रोकने के लिए वाद लाया गया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत दस्तावेजों से भली भांति साबित होता है कि गैरसायलान ने 15 से 61 के विवादित भूमि 60 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त में है एवं राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है। इतने पुराने रिकार्ड को नजर अंदाज कर मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेण्ट ने ऐसा काई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे विवादित भूमि पर सायल का कब्जा साबित हो उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने विवादित भूमि पर सालय का कब्जा होना मानकर निर्णय किया है इससे स्पष्ट है कि मात हत अदालत ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुल अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में है। गैरसायलान ने अपीलाण्ट को साजिसाना तरीके से सिर्फ नुकसान पहुचाने के लिए वाद पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि संवत 2000 से पूर्व रेस्पोडेण्ट के दादा के नाम से भूमि थी जो राजस्व रिकार्ड से साबित है। प्रश्नगत भूमि पर हमारा कब्जा काश्त है। भूमि अपीलाण्ट के नाम से कैसे आई यह अपीलाण्ट ने स्पष्ट नहीं किया है। यदि भूमि सैटलमेंट के दौरान अपीलाण्ट के नाम आई भी है तो सैटलमेंट को नाम दर्ज करने का अधिकार नहीं था। वर्तमान रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि हमारे नाम से दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद विचाराधीन है यदि इस बीच भूमि रहन बैय आदि द्वारा अन्तरित हो जाती है तो रेस्पोडेण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2007 पेज 881, आरआरडी 1971 पेज 45, आरआरडी 2000 पेज 476, आरआरडी 2009 पेज 17, आरआरडी 2017 पेज 468, आरआरडी 2002 पेज 744, डीएनजे 1993 (एससी) पेज नम्बर 166, आरआरटी 2018 (2) पेज 1370, आरआरडी 2000 पेज 524, आरआरटी 2013 (1) पेज 152, आरआरडी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1999 पेज 466, आरआरटी 2015 (2) पेज 1445, आरआरटी 2016 (2) पेज 1398 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद विचाराधीन है जिसमें अलग से धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत भूमि पर उसका कब्जा काश्त हो। जबकि गैरसायलाने नं. 15 से 61 के नाम विवादित भूमि 60 वर्षों से उसके नाम चली आ रही है एवं उनका काश्त चली आ रही है। इतनी लम्बि अवधि तक रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना यही प्रकट करता है कि वह स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। एक कब्जाधारी खातेदार काश्तकार को उसकी भूमि के उपयोग उपभोग करने से प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐस में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.04.2012 निरस्त किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.04.2012 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:14:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: